

राजस्थान सरकार
गृह (ग्रुप-2) विभाग

क्रमांक: प.27(1)गृह-2/2019

जयपुर, दिनांक 16 अगस्त, 2019

अधिसूचना

राजस्थान पुलिस अधिनियम, 2007 (2007 का अधिनियम संख्यांक 14) की धारा 6 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्य सरकार पुलिस जिला अलवर के संबंध में जारी पूर्व अधिसूचनाओं का उपान्तरण करते हुए एतद् द्वारा पुलिस जिला अलवर के कार्यक्षेत्र का पुनर्निधारण करते हुए निम्नानुसार पुलिस जिला अलवर एवं पुलिस जिला भिवाड़ी की अधिकारिता में निम्नलिखित पुलिस थानों के क्षेत्रों को समाविष्ट करती है:-

पुलिस जिला अलवर
(मुख्यालय : अलवर)

पुलिस सर्किल	पुलिस थाने
अलवर (उत्तर)	1. कोतवाली, 2. शिवाजी पार्क, 3. एन.ई.बी.
अलवर (दक्षिण)	1. उद्योग नगर, 2. रामगढ़, 3. नौगांवा, 4. गोविन्दगढ़
अलवर (ग्रामीण)	1. सदर, 2. अरावली विहार, 3. मालाखेड़ा
राजगढ़	1. राजगढ़, 2. ऐणी, 3. ठहला
लक्ष्मणगढ़	1. लक्ष्मणगढ़, 2. कट्टमर, 3. खेड़ली, 4. बड़ोदामेव
थानागाजी (नवसृजित)	1. थानागाजी, 2. नारायणपुर, 3. प्रतापगढ़

पुलिस जिला भिवाड़ी
(मुख्यालय : भिवाड़ी)

पुलिस सर्किल	पुलिस थाने
भिवाड़ी	1. भिवाड़ी, 2. भिवाड़ी फेज-III, 3. चौपानकी
किशनगढ़बास	1. किशनगढ़बास, 2. कोटकासिम, 3. खैरथल, 4. ततारपुर
बहरोड़	1. बहरोड़, 2. बानसूर, 3. हरसोरा
नीमराना	1. नीमराना, 2. मांढण, 3. शाहजहांपुर, 4. मुण्डावर
तिजारा (नवसृजित)	1. तिजारा, 2. ठपूकड़ा, 3. खुशखेड़ा, 4. शेखपुर अहीर

उक्त समस्त पुलिस थानों का क्षेत्राधिकार पूर्वानुसार यथावत रहेगा एवं उपरोक्त पुलिस सर्किल का क्षेत्राधिकार उनके आगे अंकित पुलिस थानों के क्षेत्राधिकार पर होगा।

पुलिस जिला अलवर एवं पुलिस जिला भिवाडी के संबंध में जिला मजिस्ट्रेट, अलवर एवं उनके अधीनस्थ सम्बन्धित कार्यपालक मजिस्ट्रेट क्षेत्राधिकार अनुसार दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973, अन्य संबंधित विधियों एवं पुलिस अधिनियम, 2007 की धारा 70 में निहित शक्तियों का प्रयोग करेंगे।

२८/८

राज्यपाल महोदय की आङ्गा से

गृह (ग्रुप-6) विभाग
शासन सचिवालय, जयपुर
डायरी संख्या १६८३
दिनांक शत्रुघ्नी २५

Sd/-
(राजीव स्वरूप)
अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. सचिव, महामहिम राज्यपाल महोदय, राज0 जयपुर।
2. प्रमुख सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, राज0 जयपुर।
3. वरिष्ठ उप सचिव, मुख्य सचिव महोदय, राज0 जयपुर।
4. निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह।
5. निजी सचिव, शासन सचिव, नगरीय विकास विभाग।
6. महानिदेशक पुलिस को प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना की प्रतियाँ सभी संबंधित पुलिस/प्रशासनिक अधिकारियों को भिजवाया जाना सुनिश्चित करावें।
7. निदेशक, जन सम्पर्क विभाग।
8. अधीक्षक, प्रिंटिंग एवं स्टेशनरी को मय सीडी प्रेषित कर लेख है कि इस अधिसूचना को राजपत्र में प्रकाशित करवाने का श्रम करें।
9. रक्षित पत्रावली।

१०. उप शासन सचिव गृह (ग्रुप-6) की
वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु

वरिष्ठ शासन उप सचिव

कुमार
र